

**न्यायालय—श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला,
जिला बैतूल, (म.प्र.)**

एम.जी.सी. क्रमांक :- 18/17
संस्थापन दिनांक :- 21/03/17
फायलिंग नं. 5192017

श्रीमती सुनीता पति दिलीप सोनपुरे
उम्र 45 वर्ष जाति छिपा
निवासी वार्ड क्र 04, सोमवारी चौक,
तहसील आमला, जिला बैतूल

.....**आवेदिका**

वि रु द्ध

दिलीप पिता कोमल सोनपुरे
उम्र 50 वर्ष जाति छिपा
निवासी सोमवारी चौक, तहसील आमला
जिला बैतूल,

..... **अनावेदक**

—: (आ दे श) :-

(आज दिनांक—20.11.2017 को घोषित)

1. इस आदेश द्वारा आवेदिका की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 का निराकरण किया जा रहा है।
2. आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदिका सुनीता का विवाह अनावेदक दिलीप से हिंदु रीति रिवाज से लगभग 22 वर्ष पूर्व संपन्न हुआ था। आवेदिका को दामपत्य जीवन से दो पुत्री एवं एक पुत्र हुए, जिसमें से पुत्री का विवाह हो चुका है। अनावेदक विवाह के कई दिनों तक आवेदिका को अच्छे से रखा किन्तु उसे बाद अनावेदक के बाहरी महिलाओं से अवैध संबंध हो गए। कई वर्ष गुजर गए परंतु अनावेदक की आदत में सुधार नहीं आया। आवेदिका के द्वारा पता किए जाने पर यह जानकारी मिली की अनावेदक आशा नामक महिला के साथ पति-पत्नी जैसा जीवन व्यतीत कर रहा है। आवेदिका के द्वारा मना किए जाने पर किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध कायम कर लिए जाते थे और जब आवेदिका मना करती थी तो अनावेदक उसकी मार पिटाई करता था। आवेदिका अपने मायके में निवास कर रही है और बच्चों का पालन पोषण कर रही है। अनावेदक भरण पोषण की कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है। अनावेदक शासकीय कर्मचारी है, उसे वेतन मिलता है। आवेदिका एवं उसके दोनों बच्चों के लिए प्रतिमाह 10000 रु. भरण पोषण की राशि दिलवाई जाए। साथ ही अनावेदक ने मकान को गिरवी रखा है, उसे भी भारमुक्त करवाए जाने का आदेश किया जाए एवं अनावेदक जब अपनी नौकरी से निलंबित किया गया था तब आवेदिका ने अनावेदक को 50000 रु. दिए थे वो भी आवेदिका का वापस दिलवाए जाएं।

3. प्रकरण में अनावेदक उपस्थित हुआ था एवं उसके द्वारा अधिवक्ता नियुक्त किए जाने एवं आवेदन के जवाब हेतु समय चाहा गया था, परंतु आगे के प्रक्रम में अनावेदक के अनुपस्थित हो जाने के कारण उसके विरुद्ध दिनांक 30.05.2017 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

4. आवेदन के निराकरण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु है:-

1. क्या आवेदिका अनावेदक की वैध विवाहिता पत्नी है ?
2. क्या आवेदिका पर्याप्त कारणों से अनावेदक से पृथक रह रही हैं ?
3. क्या आवेदिका अपना स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ है ?
4. क्या अनावेदक पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति है ?
5. क्या अनावेदक ने आवेदिका का भरण पोषण करने में उपेक्षा की है ?
6. क्या आवेदिका भरण पोषण पाने के पात्र हैं ? यदि हाँ तो किस मासिक दर से और किस दिनांक से ?

—: विचारणीय बिन्दु क्रमांक-1 :—

5. विचारणीय बिन्दु क्रमांक "1" के संबंध में आवेदिका सुनीता (अ.सा.-1) ने यह प्रकट किया है कि उसका विवाह अनावेदक दिलीप के साथ लगभग 22 वर्ष पूर्व आमला में संपन्न हुआ था। आवेदिका के दाम्पत्य जीवन से 3 बच्चे हैं, 2 बेटी एवं 01 बेटा है। एक बेटी का विवाह हो चुका है। एक बेटा एवं एक बेटी नाबालिग हैं कोई संतान नहीं है। प्रकरण में अनावेदक के अनुपस्थित रहने से आवेदिका द्वारा प्रस्तुत उक्त साक्ष्य अखण्डित रही है जिस पर अविश्वास किये जाने के कोई आधार नहीं है। अतः यह प्रमाणित होता है कि आवेदिका अनावेदक की विवाहिता पत्नी है।

—: विचारणीय बिन्दु क्रमांक-2 :—

6. विचारणीय बिन्दु क्रमांक "2" के संबंध में सुनीता (अ.सा.-1) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया कि उसका विवाह अनावेदक दिलीप के साथ हुआ था। विवाह के बाद से उसके पति ने उसके साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, अन्य महिलाओं से अवैध संबंध रखने लगा। अनावेदक उसके साथ मारपीट भी करता था तथा मुझे शारीरिक यातनाएँ देता था। अनावेदक किसी अन्य महिला के पास रहने लगा है। अनावेदक द्वारा आवेदिका और उसके बच्चों पर ध्यान नहीं देता है। प्रकरण में अनावेदक के अनुपस्थित रहने से आवेदिका द्वारा प्रस्तुत उक्त साक्ष्य अखण्डित रही है जिस पर अविश्वास किये जाने के कोई आधार नहीं है। अतः यह प्रमाणित होता है कि आवेदिका पर्याप्त कारणों से अनावेदक से पृथक रह रही हैं।

—: विचारणीय बिन्दु क्रमांक-3 :—

7. विचारणीय बिन्दु क्रमांक "3" के संबंध में सुनीता (अ.सा.-1) यह प्रकट किया है कि वह वर्तमान में अपने माता-पिता के मकान में रहती है। उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है। प्रकरण में अनावेदक के अनुपस्थित रहने से आवेदिका द्वारा प्रस्तुत उक्त साक्ष्य अखण्डित रही है जिस पर अविश्वास किये जाने के कोई आधार नहीं है। अतः यह प्रमाणित होता है कि आवेदिका स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ है।

—: विचारणीय बिन्दु क्रमांक-4 :—

8. विचारणीय बिन्दु क्रमांक "4" के संबंध में आवेदिका सुनीता (अ.सा.-1) का कहना है कि अनावेदक नगरपालिका के अंतर्गत तहसील कार्यालय में निर्वाचन आयोग शाखा में कार्यरत है, जिससे उसे लगभग 25000 रु. वेतन प्राप्त होता है। परंतु आवेदिका द्वारा अनावेदक की प्रतिमाह 25000 रु. की मासिक आय होने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। अतः मात्र मौखिक साक्ष्य के आधार पर अनावेदक को 25 हजार रुपये की मासिक आय होने का निष्कर्ष निकाला जाना उचित नहीं होगा। आवेदिका ने अनावेदक के शासकीय कर्मचारी होना अपने साक्ष्य में बताया है। आवेदिका की उक्त साक्ष्य अखण्डित है। परंतु आवेदिका ने अनावेदक के वेतन संबंधी कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं, जिस आधार पर यह माना जाए कि अनावेदक को 20 से 25 हजार प्रतिमाह वेतन प्राप्त होता है। परंतु अनावेदक शासकीय कर्मचारी है और बाबू के पद पर कार्यरत होना बताया गया है। अतः यह प्रमाणित पाया जाता है कि अनावेदक आर्थिक रूप से सक्षम होकर पर्याप्त साधन वाला व्यक्ति है।

—: विचारणीय बिन्दु क्रमांक-5 :—

9. विचारणीय बिन्दु क्रमांक "5" के संबंध में सुनीता (अ.सा.-1) ने न्यायालयीन कथनों में यह प्रकट किया है कि वह वर्तमान में अपने माता-पिता के मकान में रह रही है। अनावेदक उसका एवं उसके बच्चों का कोई भी ध्यान नहीं रखता है और ना ही खर्च उठाता है। प्रकरण में अनावेदक के अनुपस्थित रहने से आवेदिका द्वारा प्रस्तुत उक्त साक्ष्य अखण्डित रही है जिस पर अविश्वास किये जाने के कोई आधार नहीं है। अतः यह प्रमाणित होता है कि अनावेदक ने आवेदिका का भरण पोषण करने में उपेक्षा की है।

—: विचारणीय बिन्दु क्रमांक-6 :—

10. उपरोक्तानुसार साक्ष्य की विवेचना से यह प्रमाणित पाया गया है कि आवेदिका पर्याप्त कारणों से अनावेदक से पृथक रह रही हैं। आवेदिका अपना भरण

पोषण करने में असमर्थ है। अनावेदक पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति है एवं उसके द्वारा आवेदिका का भरण पोषण करने में उपेक्षा की गई है। अतः न्यायालय के मत में आवेदिका भरण पोषण पाने की पात्र हैं। प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत हस्तगत आवेदन स्वीकार कर निम्नानुसार आदेश किया जाता है :-

क. हस्तगत आवेदन प्रस्तुत किये जाने की दिनांक से अनावेदक, आवेदिका को भरण पोषण हेतु रुपये 3000/- (तीन हजार पाँच रुपये) प्रतिमाह की दर से भरण पोषण की राशि अदा करेगा।

ख. उक्त भरण पोषण की राशि प्रतिमाह की पांचवीं तारीख तक अदा की जावेगी।

11. इस आदेश की एक प्रति आवेदिका को निःशुल्क प्रदान की जावे।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)